सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड–1)

(2012-13)

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

© भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

http://agua.cag.gov.in

Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748

वित्त लेखे (खण्ड-I)

2012-13

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
	खण्ड–1	
▪	विषय सूची	i-ii
▪	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	iv-v
▪	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiii
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	1-2
2.	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण	3-4
3.	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	5-8
4.	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
	▪ क. कियाकलाप से	9-11
	▪ ब. व्यय का स्वरूप	13-16
▪	लेखो पर टिप्पणियां	17-27
▪	परिशिष्ट–I रोकड़ प्रवाह विवरण	28-30
	खण्ड–2	
▪	विषय सूची	xiv-xv
	भाग–1	
5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	31-39
6.	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	40-44
7.	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का विवरण	45-47
8.	सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों का विवरण	48-49
9.	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	50-55
10.	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण	56-57

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
खण्ड–2	
भाग–2 विस्तृत विवरण	
11. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	59-92
12. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	93-150
13. पूंजीगत व्यय का व्यौरेवार विवरण	151-288
14. सरकार द्वारा निवेश का व्यौरेवार विवरण	289-314
15. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	315-333
16 सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण	334-350
17 राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्त्रोतों व उनके उपयोग का विस्तृत विवरण	351-355
18 आकस्मिकता निधि और लोक लेखा लेन–देनों का व्यौरेवार विवरण	356-389
19 उदृदिष्ट निधियों के निवेश का व्यौरेवार विवरण	390-396
भाग–3: परिशिष्ट	
II वेतन पर तुलनात्मक व्यय	399-408
III उपादान पर तुलनात्मक व्यय	409-428
IV राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायक अनुदान/सहायता (संस्था एवं योजना अनुसार)	429-438
V वाह्रय सहायता योजनाएं	439-440
VI व्यय योजना (अ) केन्द्रीय योजनाएं (ब) राज्य योजनाएं	441-461
VII एजेंसीयों को लागू करने के लिए राज्य में केन्द्रीय योजना के धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (धन राज्य बजट के बाहर स कराई) (बिना जांचा हुआ आंकड़ा)	462-469
VIII शेषों का सार (संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते)	470-474
IX सिंचाई कार्यो के वित्तीय परिणाम	475-476
X 31 मार्च 2013 को अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यो का विवरण	477-504
XI वर्ष 2012–13 के दौरान अनुरक्षण व्यय का विस्तृत विवरण	505-507
XII वर्ष के दौरान नई योजनाओं हेतु प्रस्तावित भविष्य के रोकड़ प्रवाह निहितार्थ मुख्य निति निर्धारण का विवरण (31 मार्च 2013)	508-510

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एंव सवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। ये लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं, खण्ड–I राज्य के वित्त की समेकित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं एवं खण्ड–II में लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में दर्शाया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ पठित हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण (संख्या 09), विवरण संख्या 11 की व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 2 और परिशिष्टों (X और XII) को उत्तराखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय/विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ–साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू विधियों,मानको,नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, 151 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतन्त्र रुप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एंव प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2012-13 के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ–साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली उत्तराखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 04 अक्टूबर 2013

स्थान : नई-दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

(अ) सरकारी लेखों की संरचना का विस्तृत विहंगालोकनः

1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है–

भाग–I समेकित निधिः राज्य की समेकित निधि में राजस्व एवं पूंजीगत लेखे की सभी प्राप्तियां एवं व्यय लोक ऋण,कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है।

भाग–II आकस्मिकता निधिः विधायिका, विधि सम्मत एक आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है जो कि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है। अदृश्य व्ययों की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि का राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदन होने तक दिये जाने वाले अग्रिमों की व्यवस्था हेतु यह निधि राज्यपाल के अधीन रखी जाती है। राज्य के समेकित निधि से सम्बन्धित क्रियाशील मुख्य शीर्ष में व्ययों को नामें करके निधि को आपूरित किया जाता है।

भाग–III लोक लेखाः अन्य वे सभी लोक धन जो कि शासन या उसकी तरफ से प्राप्त किया जाता है, लोक लेखे में जमा किया जाता है। इस लेखे से किये जाने वाले व्यय पर विधान मण्डल में चर्चा नही की जाती। इस लेखे की प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ऋण (भाग–1 के लोक ऋण को छोड़कर) जमा, अग्रिम, संचित निधियां, प्रेषण एवं उचन्त द्वारा लोक लेखा गठित होता है।

2.खण्ड, अनुभाग एवं प्रक्षेत्र इत्यादि–

समेकित लेखे के दो मुख्य खण्ड होते हैं जैसे कि अगले पृष्ठ अ. 1.1 में चित्रित किया गया है। 'राजस्व एवं पूंजीगत' लोक ऋण, कर्जे इत्यादि' जिन्हें दो भागों'प्राप्तियों एवं व्यय' में विभाजित किए जाते हैं। समेकित निधि के प्रत्येक खण्ड एवं अनुभाग में व्यय की तरफ के लेने देनों को क्षेत्रों मे विभाजित किया गया है जैसे– समान्य सेवाऐं, सामाजिक सेवाऐं एवं आर्थिक सेवाऐं जिसके अंतर्गत विशिष्ट कार्य या सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा। क्षेत्रों को उपक्षेत्रों/मुख्य लेखाशीर्षों में विभाजित किया गया है। मुख्य लेखा शीर्ष कार्यों के तदनुरुप होते हैं तथा उन्हें पुनः उपमुख्य लेखाशीर्षो में विभाजित किया गया है जिसे वित लेखे के खण्ड–2 में दर्शाया गया है। लघुशीर्ष के नीचे विभाजन को जैसे–उपशीर्ष (योजनाओं) विस्तृत तथा मानक शीर्षो (व्यय के मानकों) को वित लेखे में प्रर्दर्शित नहीं किया जाता। यद्यपि कुछ विस्तृत ब्यौरों को परिशिष्ट में सम्मिलित किया जाता है।

अ. 1.1 सरकारी लेखों की संरचना का चित्रीय निरूपण

सरकारी लेखों की संरचना

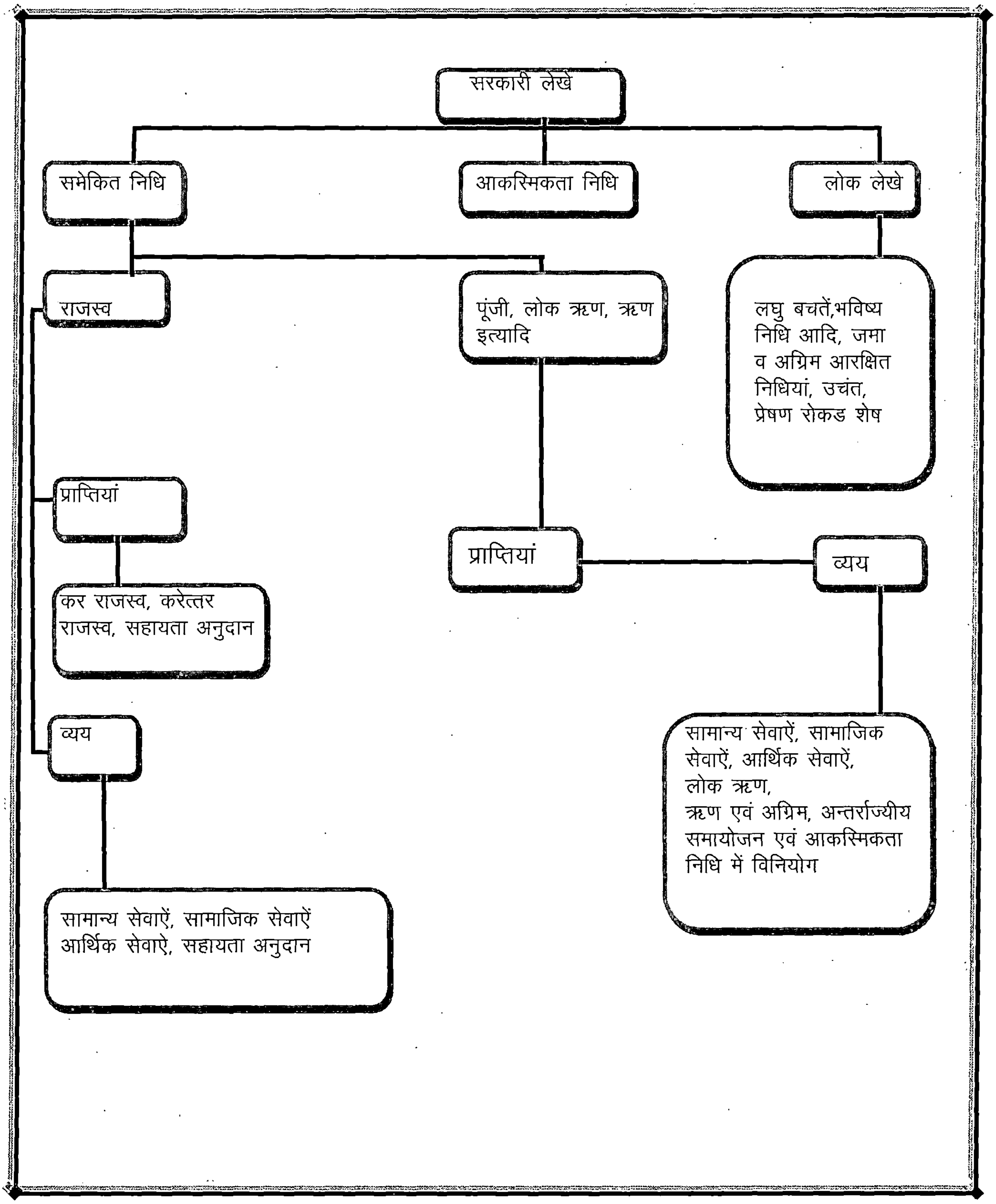

(ब). विवरणों की विषय वस्तुः–वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 में सरकार के वित्तीय विवरणों को सामान्य समझ हेतु विवराणात्मक प्रारूप में जबकि खण्ड 2 विस्तृत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।

खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रमाण–पत्र, निम्नानुसार चार संक्षिप्त विवरण और लेखे पर टिप्पणियों में लेखा नीति सहित शामिल है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरणः– विवरण में सरकार के सम्पत्ति एवं दायित्वों के संक्षिप्त आंकड़े जो कि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होते हैं, दर्शाये जाते है। सम्पत्तियां अधिकतर वित्तीय सम्पत्तियां है जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए प्रगामी राशियां सरकार की भौतिक सम्पत्तियों को दर्शाती हैं। लेखा नीति के अनुसार सम्पत्तियों को पूर्व लागत के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है।

2. प्राप्तियों एवं वितरणों के विवरणः–वर्ष के दौरान सभी तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, जिनके नाम है–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे में सरकार की सभी प्राप्तियों एंव वितरणों को दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण है। इसके अलावा समेकित निधि के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत लेखों की प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग–अलग दर्शाया जाता है।

सरकार के राजकोषीय पैमानों जैसे–प्राथमिक, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को राज्य के समेकित निधि के प्रचालनों के आधार पर आगणित किया जाता है। इसलिए समेकित निधि के प्रचलन हेतु निम्न दो विविरण संक्षिप्त रूप से दिए जाते है।

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):–इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार द्वारा लिए गए उधारों की प्राप्तियों जिसमें भारत सरकार से लिए गंए कर्जे द्वारा दिए गए ऋणों एंव अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित है।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि):–यह विवरण न केवल कार्यों के द्वारा व्ययों को दर्शाता है बल्कि कार्यकलाप की प्रकृति (व्ययों के मानकों) के आधार पर व्यय को संक्षिप्त रुप से दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, परिशिष्ट–1 जो रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश की स्थिति को दर्शाता है, सम्मिलित है।

द्वितीय खण्ड में तीन भाग सम्मिलित है। प्रथम भाग में नीचे दिए गए छः विवरण सम्मिलित हैं।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरणः– इस विवरण में कार्यकलापों के प्रगामी पूंजीगत व्यय का विस्तृत वर्णन है, जिसका योग विवरण संख्या एक में दर्शाया गया है।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरणः–सरकार के उधारों के अन्तर्गत बाजार से लिया गया ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। ये दोनों सम्मिलित रूप से राज्य सरकार के लोक ऋण की रचना करते हैं। इसके साथ ही इस संक्षिप्त विवरण में 'अन्य दायित्वों' का भी विवरण है जो कि विभिन्न प्रक्षेत्रों में अवशेष है। लोक लेखे के शेषों के सम्बन्ध में

सरकार निधियों की एक धरोहरी या संरक्षक है इसलिए सरकार इन अवशेषों के प्रति उत्तरदायी होती है। इस विवरण में ऋण शोधन पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है उदाहरणार्थ राजस्व प्राप्तियों से होने वाले शुद्ध ब्याज प्रभारों की मात्रा पर टिप्पणी होती है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का विवरणः— राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण संख्या एक में तथा वसूलियों एवं भुगतानों को विवरण संख्या—2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है। यहां ऋण एवं अग्रिम को क्षेत्र और ऋणी समूहवार संक्षिप्त किए गए हैं। यह ऋणों से सम्बन्धित वसूलियों के बकाया जिसके विवरण का रख रखाव प्रधान महालेखाकार कार्यालय तथा राज्य सरकार के विभागों में रखा जाता है, पर टिप्पणी दी जाती है।

8. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदानों का विवरणः— अनुदानित संस्थान को समूहवार तैयार किया गया है। इसमें दिए गए अनुदानों के प्रकार के सम्बन्ध में टिप्पणी भी सम्मिलित की गयी है।

9.सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धताओं का विवरणः— वर्ष के दौरान वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गये ऋणों की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्यभूतियां तथा वर्ष के अन्त तक जिन राशियों की वचनबद्धताऐं अवशेष है, उनको इस विवरण में दिखाया गया है।

10. प्रभारित एवं दत्तमत्त व्ययों का विवरणः— यह विवरण सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को दर्शाता है।

भाग—II खण्ड—2—इस भाग में लघुशीर्षवार 9 विवरण है। जो खण्ड—1 और खण्ड—2 के भाग—I के विवरणों के अनुरुप लेन—देनों के विस्तृत विवरणों को प्रस्तुत करते हैं।

11. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरणः—यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

12. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरणः— यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को अलग—अलग दिखाया गया है तथा विगत वर्षों के आंकड़ों से तुलननात्मक आंकड़े भी दर्शाता है।

13. लघु शीर्षवार पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत विवरणः— यह विवरण सरकार के पूंजीगत परिव्ययों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर आंकड़ों को पृथक रूप से दर्शाया गया है तथा विगत वर्षों के आंकड़ों से तुलना भी दर्शाता है। वर्ष के अन्त तक प्रगामी पूंजीगत परिव्ययों को भी दर्शाता है।

14. सरकार के विनिवेशों का विस्तृत विवरणः– इस विवरण में चालू वर्ष तथा विगत वर्ष में विभिन्न संस्थाओं की अंश पूंजी और ऋणपत्रों में सरकारी निवेश की स्थिति को दर्शाता है। विवरण में अंशपूंजी के प्रकार जैसे–प्रत्यक्ष मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि सम्मिलित है।

15. उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरणः– लघु शीर्षवार उधारों का विस्तृत विवरण (सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण एवं भारत सरकार से लिए गए कर्जे आदि) सभी कर्जों की परिपक्वता और भुगतान के पूर्ण विवरण इसमें शामिल है। यह विस्तृत विवरण खण्ड–II भाग–1 के विवरण संख्या–6 से सम्बद्ध है।

16. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरणः– सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के विस्तृत विवरण, ऋण शेषों में बदलाव, ऋणों का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त ब्याज इत्यादि इस विवरण में सम्मिलित है। यह आयोजनागत ऋणों को पृथक रुप से दर्शाता है। यह खण्ड–2, भाग–I के विवरण 7 के अनुरुप विस्तृत विवरण है।

17.राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय हेतु अन्य स्रोतों एवं प्रयासों से प्राप्त निधि का विस्तृत विवरणः– पूंजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) तथा व्ययों हेतु निधियों के स्रोतों को दर्शाता है।

18. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन देनों का विस्तृत विवरणः–यह विवरण वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में बदलाव, निधि को विनियोग, व्यय, धनराशि की प्रतिपूर्ति को दर्शाता है। यह लोक लेखे के लेन–देनों को भी विस्तार से दर्शाता है।

19. उद्दिष्ट शेषों का विस्तृत विवरणः–यह लोक लेखे में आरक्षित निधियों से किये गए निवेश के विवरण को दर्शाता है। खण्ड–2, भाग–III में परिशिष्ट हैं जिनमें वेतन, सब्सिडी, योजनावार एवं संस्थानवार सहायक अनुदान, व वाह्य सहायतित परियोजनाओं का विस्तृत रूप, वृहद् केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं इत्यादि में योजनावार व्यय को दर्शाया गया है। इस विवरण में लेखे के उपशीर्ष स्तर (लघु शीर्ष स्तर के नीचे) जो कि वित्त लेखे में नहीं है को दर्शाया गया है। इनकी एक विस्तृत सूची खण्ड–1 तथा 2 के अनुक्रमणिका में दी गई है। परिशिष्टों को विवरणों के साथ पढ़ने से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(स). शीघ्र गणकः– विवरणों में क्या सम्मिलित है इसकी त्वरित जानकारी हेतु नीचे सारणी दी गई है। जिसमें महत्वपूर्ण मानकों के सन्दर्भ में संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण दिया गया है। नीचे दिये गए परिशिष्टों की संख्या सर्वांगीण नहीं है।

पैरामीटर	विवरणों का सार (खण्ड–1)	विस्तृत विवरण (खण्ड–2)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित)	2,3	11	
राजस्व व्यय	2,4	12	2 (वेतन), 3 (उपादान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2	8	iv
पूंजीगत प्राप्तियां	2,3	11	
पूंजीगत व्यय	1,2,4	5,13,17	
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	1,2,7	16	
ऋणों की स्थिति/उधार	1,2,6	15	
कम्पनी, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1,2		i,viii
लोक लेखा में अवशेष तथा उनका निवेश	1,2	18,19	
प्रत्याभूति		9	
योजनाऐं			v (वाह्य सहायतित परियोजनाऐं), vi, vii

(द) पुस्तकीय समायोजनः– कुछ लेनदेन आवधिक समायोजनों और पुस्तकीय समायोजनों की प्रकृति के होते हैं और वास्तविक रोकड़ लेन देनों को नही दर्शातें हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। विशिष्ट विवरण को 'लेखे की टिप्पणियों' तथा सम्बन्धित विवरणों की पाद टिप्पणी में दिखाया गया है।

(i) क्रियात्मक मुख्य लेखा शीर्षों (सम्बन्धित विभाग) को नामे करते हुए वेतन से सभी कटौतियों (सामान्य भविष्य निधि, अग्रिमों की वसूलियां इत्यादि) का समायोजन कर राजस्व प्राप्ति (जैसे सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त कटौतियां)/लोक लेखा (जैसे सामान्य भविष्य निधि) में पुस्तकीय समायोजन।

(ii) समेकित निधि से घटाकर लोक लेखे में निधियों की स्थापना/निधियों में अंशदान का समायोजन जैसे आपदा राहत निधि, आरक्षित निधि, ऋण शोधन निधि इत्यादि।

(iii) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखें के जमा शीर्षों में जमा कर दिया जाना।

(iv) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज और राज्य सरकार के सामूहिक बीमा योजना के वार्षिक समायोजन, जहां लेखा शीर्ष 2049 ब्याज अदायगी को नामे कर लेखा शीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि में जमा कर राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि में ब्याज का समायोजन किया जाता है।

(v)– कुछ समायोजन जैसे ऋणों से मुक्ति योजना जिसको कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार ने मान लिया हो, जहां पर लेखा शीर्ष 0075 विविध सामान्य सेवाऐं की विपरीत प्रविष्टि करके लेखा शीर्ष 6004 केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम द्वारा केन्द्र सरकार के ऋणों का अपलेखन किया गया हो। इस स्थिति में राजस्व प्राप्ति एवं लोक लेखा दोनों प्रभावित होते है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ ₹ में)

सम्पत्ति (अ)	सन्दर्भ (क्रम संख्या)		31मार्च 2013	31 मार्च 2012
	लेखों पर टिप्पणी	विवरण		
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	(-) 5.38
(ii) विभागीय शेष		18	(-) 2.15	(-) 2.15
(iii) स्थायी नकद अग्रदाय		18	(-) 0.86	(-) 0.87
(iv) नकद शेष निवेश लेखा		18	8,75.15	50.21
(v) भारतीय रिर्जव बैंक में जमा (यदि जमा राशि है तो(–) से चिन्ह से सम्मलित) किया है।			(-) 5.21	1,16.01
(vi) उद्दिष्ट शेषों से निवेश (ब)		18 & 19	10,78.62	9,27.36
पूंजीगत व्यय				
(i) कम्पनियों व निगमों के अंशों में निवेश		13	18,57.55	13,37.47
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		13	1,75,24.42	1,45,02.41
आकस्मिकता निधि (प्रतिपूर्ति के विनीत)		18	97.15	97.30
ऋण एवं अग्रिम		16	7,18.21	8,74.08
विभागीय अधिकारियों से अग्रिम				..
उचंत तथा विविध शेष (स)		18	3,59.41	8,38.35
प्रेषण शेष		18	14,41.73	13,40.47
व्यय का प्राप्तियों पर संचयी अधिक्य (द)		परि. 8 एवं विव. 13	28,74.66	46,61.65
योग			**2,68,18.68**	**2,47,36.91**

अ सम्पतियां तथा दायित्व संचयी (Cumulative) है। कृपया 'लेखों पर टिप्पणी' संख्या 1 (ii) देखिए।

ब उदृष्ट निधियों का सरकारी कम्पनियों के अंश में निवेश पूंजीगत परिव्यय में सम्मिलित नही हैं तथा इनको उदृष्ट निधियों के निवेश के अन्तर्गत दिखाया गया है।

स इस विवरण में "उचंत एवं विविध शेषों" में नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित नही है जिसको अलग से दर्शाया गया है।

द प्राप्तियों का व्यय से संचयी (Cumulative) अधिक या व्यय का प्राप्तियों से क्यूम्लेटिव अधिक, इस साल के राजस्व घाटा/राजस्व अधिक्य से भिन्न है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(करोड़ ₹ में)

दायित्व	सन्दर्भ (क्रम संख्या)		31मार्च 2013	31 मार्च 2012
	लेखों पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		15	1,83,37.22	1,68,48.09
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम		--	4,61.54	4,55.46
आयोजनेत्तर ऋण		15	6.65	7.95
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		15	4,30.19	4,20.82
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		15	0.04	0.04
केन्द्रीय पुनरोधित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज		15	24.13	26.12
अन्य ऋण		15	0.53	0.53
आकस्मिक निधि (कोरपस)		18	2,00.00	2,00.00
लोक लेखे पर दायित्व				
(i) अल्प बचते, भविष्य निधियां आदि		18	47,20.34	44,49.21
(ii) निक्षेप (#)		18	18,71.49	16,52.69
(iii) आरक्षित निधियां		18	12,28.09	11,31.46
(iv) प्रेषण शेष				
(v) उचंत और विविध शेष				
प्राप्तियों का व्यय पर संचयी आधिक्य				
योग			**2,68,18.68**	**2,47,36.91**

(#) निक्षेप में अग्रिम सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(करोड ₹ में)

	प्राप्तियां			भुगतान	
	2012-13	**2011-12**		**2012-13**	**2011-12**
भाग–1 समेकित निधि					
खण्ड क राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	**1,57,47.22**	**1,36,91.24**	राजस्व व्यय	**1,39,60.22**	**1,29,75.19**
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहित)	**64,14.25**	**56,15.62**	वेतन (अ)	57,24.44	52,44.35
करेत्तर राजस्व			उपादान	1,63.23	2,19.67
			अनुदान (ब) (स)	16,34.87	13,97.95
ब्याज प्राप्तियां	1,14.76	50.62	सामान्य सेवाएं		
अन्य	14,88.12	10,85.51	ब्याज अदायगी तथा ऋण शोधन	22,38.73	17,94.21
योग	**16,02.88**	**11,36.13**	पेंशन	13,65.69	11,35.00
संघीय करों का अंश	32,72.88	28,66.04	अन्य	3,61.97	3,73.65
			योग	**39,66.39**	**33,02.86**
			सामाजिक सेवाएं	12,72.51	17,11.34
			आर्थिक सेवाएं	7,01.92	7,20.22
केन्द्र से अनुदान	44,57.21	40,73.45	स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश	4,96.86	3,78.80
राजस्व घाटा			*राजस्व आधिक्य*	**17,87.00**	**7,16.05**
खण्ड ख पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां		..	पूंजीगत व्यय	**35,42.09**	**23,16.94**
			सामान्य सेवाएं	1,29.37	77.47
			सामाजिक सेवाएं	7,14.82	3,68.58
			आर्थिक सेवाएं	26,97.90	18,70.89
भाग–1 समेकित निधि					
खण्ड ख पूंजीगत					
ऋण तथा अग्रिम वसूली	**4,28.44**	**90.65**	ऋण तथा अग्रिम	**2,72.57**	**2,46.83**
			वितरण सामान्य सेवाएं	3.08	0.41
			सामाजिक सेवाएं		..
			आर्थिक सेवाएं	2,68.02	2,45.10
			अन्य	1.47	1.32
लोक ऋण की प्राप्तियां	**29,82.59**	**32,43.78**	लोक कर्ज का पुर्नः	**14,87.37**	**19,24.05**
			भुगतान		
आन्तरिक कर्ज	29,47.88	31,97.38	आन्तरिक कर्ज	14,58.74	18,97.79
			(बाजार ऋण आदि)		
(बाजार ऋण आदि)	34.71	46.40	भारत सरकार से ऋण	28.63	26.26
भारत सरकार से ऋण	..		समेकित निधि की कुल व्यय	..	(-) 4,00.00
शुद्ध अर्न्तराज्यीय समायोजन		..	शुद्ध अर्न्तराज्यीय समायोजन	..	..
समेकित निधि की कुल प्राप्तियां	**1,91,58.25**	**1,70,25.67**	समेकित निधि की कुल प्राप्तियां	**1,92,62.25**	**1,70,63.01**
समेकित निधि में कमी	**1,04.00**	**37.34**	समेकित निधि में आधिक्य		..
भाग–2 आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	**32.22**	**1,26.13**	आकस्मिकता निधि	**32.07**	**69.07**

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(करोड ₹ में)

	प्राप्तियां				भुगतान	
	2012-13	2011-12			2012-13	2011-12
भाग 3 लोक लेखा (य)						
अल्प बचतें	11,59.18	12,72.45		अल्प बचतें	8,88.06	6,46.40
संचय एवं ऋण शोधन निधि	2,78.46	6,50.19		संचय एवं ऋण शोधन निधि	3,33.09	6,17.74
जमायें	22,32.83	22,29.42		जमायें	20,14.08	21,96.68
अग्रिम	1,26.64	1,01.50		अग्रिम	1,26.60	1,01.34
उचंत एवं विविध	3,45,66.50	2,03,12.39		उचंत एवं विविध (र)	3,49,12.50	2,07,75.57
प्रेषण	31,17.05	30,49.66		प्रेषण	32,18.31	35,15.79
लोक लेखा का कुल प्राप्तियां	**4,14,80.66**	**2,76,15.61**		लोक लेखा का कुल भुगतान	**4,14,92.64**	**2,78,53.52**
लोक लेखा में कमी	**11.98**	**2,37.91**		लोक लेखा में अधिक्य	..	..
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**1,10.62**	**3,28.81**		अन्तिम रोकड़ शेष	**(-) 5.21**	**1,10.62**
रोकड़ शेष में वृद्धि	..	..		रोकड़ शेष में कमी	1,15.83	2,18.19

अ. वेतन, सब्सिडी एवं सहायक अनुदान के आंकड़ों को सभी खण्डों से एकीकृत किया गया है। इस विवरण में समाजिक, सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय में वेतन, सब्सिडी तथा सहायक अनुदान सम्मिलित नही है। (विस्तृत जानकारी ब में)

ब. सहायक अनुदान, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत इकाईयों तथा स्थानीय निकायों को दिया जाता है, जिसका ऊपर एकीकृत आंकडा दिया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को करों में क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, शुल्क से स्थानीय निकायों को भिन्न है जिसको अलग से दर्शाया गया है।

स. सहायक अनुदान में लघु शीर्ष–"20–सहायक अनुदान/अंशदान तथा राज्य सहायता" सभी मुख्य शीर्षो से सम्मिलित है। मुख्य शीर्ष – 3604, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश अलग से दर्शाया गया है।

द. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में 1 अप्रैल 2012 को ₹ 68,98.32 करोड़ की राशि थी जो कि बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 74,03.60 करोड़ हुई।

य. ब्यौरे के लिए खण्ड–2 में विवरण संख्या–18 देखिए।

र. 'उचंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे (मुख्य शीर्ष 8673) नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित है। इस कारण राशियां बढ़ी हुई लग रही है कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड–2 में विवरण संख्या–18 देखिए।

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(I) कर तथा करेत्तर राजस्व		(करोड़ ₹ में)	
		वास्तविक आंकड़े	
	वर्णन	**2012-13**	**2011-12**
क.	**कर राजस्व**		
क. 1	**स्वकर राजस्व**	**64,14.25**	**56,15.62**
	भू–राजस्व	10.59	10.18
	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	6,48.40	5,24.05
	राज्य उत्पादक शुल्क	11,17.92	8,43.65
	बिक्री कर	42,89.41	36,43.51
	वाहन कर	3,04.29	3,34.69
	अन्य	43.64	2,59.54
क. 2	**करों का शुद्ध समनुदेशित भाग**	**32,72.88**	**28,66.04**
	निगम कर	11,75.59	11,28.07
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	7,03.81	5,73.01
	सम्पति कर	1.98	4.36
	सीमा शुल्क	5,43.85	4,96.90
	संघ उत्पाद शुल्क	3,69.60	3,21.54
	सेवा कर	4,78.05	3,42.16
	योग क	**96,87.13**	**84,81.66**
ख	**करेत्तर राजस्व**		
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	7,48.65	4,48.11
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2,38.20	2,34.26
	बिजली	1,50.03	41.24
	ब्याज प्राप्तियां	1,14.76	50.62
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,09.85	1,12.58
	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	38.80	37.14
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	38.72	70.15
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	30.00	23.20
	विविध सामान्य सेवाएं	25.85	37.57
	लोक निर्माण कार्य	18.13	17.85
	फसल कृषि–कर्म	15.83	4.54
	पुलिस	10.98	11.41
	शहरी विकास	10.32	1.67
	मछली पालन	8.07	0.04

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(I) कर तथा करेत्तर राजस्व		(करोड़ ₹ में)	
		वास्तविक आंकड़े	
ख	**करेत्तर राजस्व**	**2012-13**	**2011-12**
	मध्यम सिंचाई	7.52	7.93
	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.38	3.10
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4.14	2.97
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.82	2.91
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3.21	3.87
	लघु सिंचाई	2.91	2.90
	श्रम तथा रोजगार	2.46	2.42
	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	2.06	1.57
	जलापूर्ति तथा सफाई	1.98	1.90
	आवास	1.77	2.03
	पशुपालन	1.77	1.57
	सहकारिता	1.38	2.93
	पर्यटन	1.22	0.83
	जेल	1.16	0.44
	डेरी विकास	1.09	0.17
	उद्योग	0.84	1.73
	लोक सेवा आयोग	0.73	3.12
	सड़क परिवहन	0.67	0.13
	सिविल आपूर्ति	0.40	0.41
	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.31	0.68
	सड़क तथा सेतू	0.22	1.70
	लाभांश तथा लाभ	0.19	0.05
	परिवार कल्याण	0.16	0.03
	मुख्य सिंचाई	0.13	0.14
	सूचना तथा प्रचार	0.10	0.08
	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.06	0.01
	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.01	0.04
	पहाड़ी क्षेत्र	0.00	0.00
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00
	नगर विमानन	0.00	0.09
	योग ख	**16,02.88**	**11,36.13**

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(II) भारत सरकार से अनुदान			(करोड़ ₹ में)	
			वास्तविक आंकड़े	
	विवरण		**2012-13**	**2011-12**
ग	अनुदान			
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		**44,57.21**	**40,73.45**
	आयोजनेत्तर अनुदान		**8.68.64**	**7,62.09**
		संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आदेश का वितरण)	6,21.62	7,01.85
		प्राकृतिक आपदा राहत निधि में अंशदान हेतु अनुदान	2,09.60	4.00
		केन्द्रीय सड़क से निधि सअनुदान	34.01	..
		अन्य अनुदान	3.41	56.24
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		**30,40.11**	**28,39.85**
		एकमुश्त (ब्लाक) अनुदान	30,16.05	28,34.31
		संविधान के अनुच्छेद 275 के (i) अन्तर्गत अनुदान		..
		अन्य अनुदान	24.06	5.54
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान		**7.59**	**9.87**
	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		**5,40.87**	**4,61.64**
	योग ग		**44,57.21**	**40,73.45**
	योग–राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)		**1,57,47.22**	**1,36,91.24**
(III)	पूंजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियां			
घ	पूंजीगत प्राप्तियां			
	विनिवेश आयत			..
	अन्य			..
	योग घ			..

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(IV) पूंजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियां			(करोड़ ₹ में)	
			वास्तविक आंकड़े	
	वर्णन		**2012-13**	**2011-12**
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियां**		**29,82.59**	**32,43.78**
	आन्तरिक ऋण		**29,47.88**	**31,97.38**
		बाजार ऋण	17,50.00	14,00.00
		भारतीय रिर्जव बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (अ)	15.15	9,08.26
		बॉन्डस		
		वित्तीय संस्थाओं से ऋ	5,27.40	2,68.67
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष सुरक्षा प्रदान करना	7,39.38	5,36.39
		अन्य ऋण	(-) 84.06	84.06
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम		**34.71**	**46.40**
		आयोजनेत्तर ऋण		
		राज्य आयोजनागत योजना हेतु ऋण	34.71	46.40
		केन्द्र आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		..
		केन्द्रीयकृत्त समनुदेशित योजनाओं के लिए ऋण		..
		अन्य ऋण		..
	योग ङ		**29,82.59**	**32,43.78**
च.	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलिया) **(ii)**		**4,28.44**	**90.65**
छ.	अंतराज्यीय परिशोधन लेखा			
	समेकित निधि की कुल प्राप्तियां (क,ख,ग,घ,ङ व च)		**1,91,58.25**	**1,70,25.67**

(अ) अर्थोपाय अग्रिम

(ब) विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 7 और 16 खण्ड –2 में।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क. व्यय क्रियाकलाप से (करोड़ ₹ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क	**सामान्य सेवा**				
क. 1	**राज्य के अंग**				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	17.55	--	--	17.55
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	4.75	--	--	4.75
	मंत्रिपरिषद्	32.79	--	--	32.79
	न्याय प्रशासन	1,07.03	--	--	1,07.03
	निर्वाचन	19.44	--	--	19.44
क. 2	**राजकोषीय सेवाएं**				
	भू राजस्व	1,17.62	--	--	1,17.62
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	22.95	--	--	22.95
	राज्य उत्पादक शुल्क	8.42	--	--	8.42
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	47.83	--	--	47.83
	वाहन कर	0.38	--	--	0.38
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	6.67	--	--	6.67
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	3.79	--	--	3.79
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	1,50.00	--	--	1,50.00
	ब्याज अदायगियां	20,88.73	--	--	20,88.73
क. 3	**प्रशासनिक सेवाएं**				
	लोक सेवा आयोग	7.66	--	--	7.66
	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	88.03	--	--	88.03
	जिला प्रशासन	72.82	--	--	72.82
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	42.81	--	--	42.81
	पुलिस	7,94.79	28.50	--	8,23.29
	जेल	21.34	--	--	21.34
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	8.41	--	--	8.41
	लोक निर्माण	2,97.60	1,00.87	--	3,98.47
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.58	--	--	42.58
क. 4	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**		--	--	
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	13,65.69	--	--	13,65.69
	विविध सामान्य सेवाएं	2.54	--	3.08	5.62
	कुल (क) सामान्य सेवाएं	**53,72.22**	**1,29.37**	**3.08**	**55,04.67**
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति**				
	सामान्य शिक्षा (*)	36,16.40	1,84.22	--	38,00.62
	तकनीकी शिक्षा (*)	74.06	19.91	--	93.97
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं (*)	36.17	27.25	--	63.42
	कला एवं संस्कृति (*)	13.16	15.44	--	28.60
ख. 2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	7,22.72	1,34.52	--	8,57.24
	परिवार कल्याण	82.74	4.80	--	87.54

* मात्र एक पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्ष 4202 शिक्षा,खेलकूद,कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय में सम्मिलित किया गया।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
क. व्यय क्रियाकलाप से				(करोड़ ₹ में)	
	व्याख्या	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख. 3	**विकास**				
	जलापूर्ति तथा सफाई	4,15.52	1,12.97	--	5,28.49
	आवास	1.90	12.31	--	14.21
	शहरी विकास	91.21	1,42.82	--	2,34.03
ख. 4	**सूचना तथा प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रसार	41.49	0.00	--	41.49
ख. 5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,05.28	37.35	--	2,42.63
ख. 6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	70.62	0.00	--	70.62
ख. 7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,45.28	5.98	--	5,51.26
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,35.42	0.00	--	1,35.42
ख. 8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	43.81	17.25	--	61.06
	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	0.06	0.00	--	0.06
	कुल(ख) सामाजिक सेवाएं	**60,95.84**	**7,14.82**	**--**	**68,10.66**
ग	**आर्थिक सेवायें**				
ग. 1	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि कर्म	2,61.03	17.23	1,56.36	4,34.62
	मृदा तथा जल संरक्षण	0.00	0.00	--	0.00
	पशुपालन	1,12.08	7.03	--	1,19.11
	डेरी विकास	12.11	0.00	--	12.11
	मछली पालन	5.87	0.10	--	5.97
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	3,47.37	41.51	--	3,88.88
	बागानी	0.50	0.00	--	0.50
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1,47.50	4,75.36	--	6,22.86
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,36.45	0.00	--	1,36.45
	सहकारिता	35.14	0.75	2.31	38.20
ग. 2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	58.54	0.00	--	58.54
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,26.43	2,46.73	--	4,73.16
ग. 3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	2,22.82	2,57.95	--	4,80.77
	मध्यम सिंचाई	13.17	0.61	--	13.78
	लघु सिंचाई	68.75	88.79	--	1,57.54
	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	--	0.00
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	4.14	39.50	--	43.64

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
क. व्यय क्रियाकलाप से				(करोड़ ₹ में)	
	व्याख्या	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	**आर्थिक सेवायें**				
ग. 4	**ऊर्जा**				
	बिजली	0.04	5,16.12	84.35	6,00.51
	अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	13.86	0.00	--	13.86
ग. 5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	38.60	0.70	--	39.30
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4.83	16.16	--	20.99
	दूरसंचार तथा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग	0.00	0.00	--	0.00
	उद्योग तथा खनिज	0.00	0.00	--	0.00
ग. 6	**परिवहन**				
	जहाजरानी	0.00	0.00	--	0.00
	नगर विमानन	9.09	95.44	--	1,04.53
	सड़क तथा सेतु	1,83.26	8,72.77	--	10,56.03
	सड़क परिवहन	17.53	0.93	25.00	43.46
ग. 7	**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी**				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	9.15	0.00	--	9.15
ग. 8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**				
	सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	3.16	0.00	--	3.16
	पर्यटन	42.70	20.22	--	62.92
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	16.30	0.00	--	16.30
	सिविल पूर्ति	2.97	0.00	--	2.97
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.91	0.00	--	1.91
	कुल (ग)आर्थिक सेवाएं	**19,95.30**	**26,97.90**	**2,68.02**	**49,61.22**
घ.	**ऋण, अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4,96.86	--	--	4,96.86
ड.	**सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि**				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	--	--	1.03	1.03
	विविध ऋण	--	--	0.44	0.44
च	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तिरिक ऋण	--	**14,58.74**	--	**14,58.74**
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	--	**28.63**	--	**28.63**
छ	**अन्तरराज्य समाशोधन लेखा**				
ज	**आकस्मिकता निधि में विनियोग**				
	कुल सीएफआई व्यय	**1,39,60.22**	**50,29.46 ***	**2,72.57**	**1,92,62.25**

* सम्मिलित है।

(1) पूंजीगत व्यय ₹ 35,42.09 करोड़

(2) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण ₹ 14,58.74 करोड़

(3) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹ 28.63 करोड़

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)			
ब. व्यय का स्वरूप			
(करोड़ ₹ में)			
	2012–13		
	राजस्व	पूंजीगत	योग
वेतन	33,76.62	...	33,76.62
सहायता/अंशदान/राज्य सहायता	21,31.72	3.11	21,34.83
महंगाई भत्ता	20,97.07	...	20,97.07
ब्याज/लभांश	20,88.73	...	20,88.73
पेंशन/मुआवजा	13,38.64	...	13,38.64
वेतन/भत्ता आदि के लिए अनुदान का सहायता	5,41.25	...	5,41.25
निवेश/ऋण	...	533.27	533.27
अन्य खर्च	5,01.09	...	5,01.09
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता	...	433.05	433.05
अन्य भत्ता	3,60.87	...	3,60.87
रखरखाव	1,66.12	1.57	1,67.69
उपादान	1,63.23	...	1,63.23
छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	1,51.73	...	1,51.73
अर्न्तलेखा संक्रमण	1,45.34	...	1,45.34
वृहत निर्माण कार्य	1,25.96	20,12.55	21,38.51
मानदेय	1,17.38		1,17.38
मजदूरी	95.74	...	95.74
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	67.28	...	67.28
विद्युत देय	55.80	...	55.80
यात्रा व्यय	47.17	...	47.17
सामग्री और आपूर्ति	46.38	5,20.93	5,67.31
उपकरण और संयंत्र	43.78	0.53	44.31
गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	37.17	...	37.17
विज्ञापन और बिक्री व्यय	34.54	...	34.54
अन्य व्यय	...	32.82	32.82

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
ब. व्यय का स्वरूप					
(करोड़ ₹ में)					
2011–12			2010–11		
राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
33,89.51		33,89.51	33,93.15		33,93.15
17,76.75	1.20	17,77.95	19,20.49	1.79	19,22.28
16,12.92		16,12.92	10,96.11	--	10,96.11
17,69.21		17,69.21	14,79.58	--	14,79.58
11,32.52		11,32.52	11,53.96	--	11,53.96
4,67.03		4,67.03	4,63.58	...	4,63.58
...	44.78	44.78	0.00	53.78	53.78
15,73.00	51.52	16,24.52	7,10.68	35.80	7,46.48
...	...	...	...	...	...
3,30.82	...	3,30.82	2,93.66	...	2,93.66
1,28.03	0.90	1,28.93	73.27	0.65	73.92
2,19.67	...	2,19.67	43.49	...	43.49
1,36.97	...	1,36.97	1,23.05	...	1,23.05
1,24.17	...	1,24.17	1,28.05	...	1,28.05
1,47.40	16,99.85	18,47.25	1,36.55	17,64.18	19,00.73
1,16.29		1,16.29	64.98	...	64.98
1,33.74		1,33.74	89.30	...	89.30
52.44		52.44	40.11	--	40.11
41.52		41.52	42.71	...	42.71
43.61		43.61	43.78	--	43.78
68.61	2,38.58	3,07.19	49.83	-16.25	33.58
47.36	1.25	48.61	42.56	2.98	45.54
32.11	...	32.11	31.00	--	31.00
27.73	...	27.73	20.26	...	20.26
...	...	...	...	...	...

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)			
ब. व्यय का स्वरूप			
(करोड़ ₹ में)			
	2012-13		
	राजस्व	पूंजीगत	योग
औषिधि तथा रसायन	30.76	...	30.76
कार्यालय व्यय	29.96	...	29.96
लघु निर्माण कार्य	27.35	1.72	29.07
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	24.98	...	24.98
प्रशिक्षण पर व्यय	19.11	0.13	19.24
लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	12.89	...	12.89
कार्यालय के लिए कार की खरीद	12.74	...	12.74
कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11.14	0.05	11.19
किराया एवं शुल्क	10.22	...	10.22
भोजन पर व्यय	10.02	...	10.02
कंप्युटर आदि खरीद पर व्यय	9.03	...	9.03
कंप्यूटर का रखरखाव	7.61	...	7.61
टेलिफोन व्यय	5.81	...	5.81
स्थानान्तरण यात्रा पर व्यय	4.69	...	4.69
पानी दर एवं टैक्स	3.88	...	3.88
अतिथि भत्ता	2.80	...	2.80
प्रकाशन	2.42	...	2.42
गुप्त सेवा व्यय	1.19	...	1.19
छुट्टी यात्रा व्यय	0.84	...	0.84
उच्चन्त	0.70	2.36	3.06
औषधालय से सम्बंधी आवश्यक सज्जा	0.08		0.08
महंगाई वेतन	0.01	...	0.01
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	...	...	...
वसूलिया/सिविल जमा राशि से घटाना	(-) 1.62	...	(-) 1.62
अन्य	...	...	...
योग	**1,39,60.22**	**35,42.09**	**1,75,02.31**

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
ब. व्यय का स्वरूप					
(करोड़ ₹ में)					
2011-12			2010-11		
राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग
27.04	…	27.04	24.91	…	24.91
34.90	…	34.90	29.09	…	29.09
19.50	1.78	21.28	25.12	1.07	26.19
	…	…	…	…	…
8.22	…	8.22	…	…	…
10.31	…	10.31	10.31	…	10.31
4.77	…	4.77	7.32	…	7.32
5.62	0.14	5.76	9.15	0.06	9.21
9.69	…	9.69	…	…	…
8.60	…	8.60	…	…	…
8.01	…	8.01	…	…	…
7.06	…	7.06	…	…	…
5.71	…	5.71	…	…	…
4.17	…	4.17	…	…	…
2.95	…	2.95	…	…	…
2.99	…	2.99	…	…	…
2.90	…	2.90	…	…	…
1.35	…	1.35	…	…	…
0.53	…	0.53	…	…	…
…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…
0.10	…	0.10	0.88	…	0.88
16.76	…	16.76	13.16	…	13.16
(-) 5,77.42	2,76.94	(-) 3,00.48	…	…	…
0.02	…	0.02	60.98	10.78	71.76
1,29,75.19	**23,16.94**	**1,52,92.13**	**1,16,21.07**	**18,54.84**	**1,34,75.91**

लेखों पर टिप्पणियां

1. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांशः–**

(i) अस्तित्व एवं लेखांकन अवधिः–

ये लेखे उत्तराखण्ड सरकार के 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लेनदेनों को प्रदर्शित करते हैं। कोषागारों, लोक निर्माण, वन प्रखण्डों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की एडवाईज के माध्यम से प्राप्त प्रारम्भिक लेखों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के प्राप्ति एवं व्यय के लेखे संकलित किए गए हैं। मासिक लेखों की प्राप्ति में विलम्ब नगण्य है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा अपवर्जित नहीं किया गया है।

(ii) लेखों का आधारः कुछ पुस्तकीय समायोजनों के साथ, (अनुलग्नक "अ") ये लेखे लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों एंव वित्तीय परिसम्पतियों जैसे कि सरकार के निवेशों अर्थात अधिग्रहण/ क्रय वर्ष में कीमत आदि को परंम्परागत लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है । भौतिक सम्पत्तियों को ह्रासित या अवमूल्यित नहीं किया जाता है। भौतिक सम्पत्तियों की हानियों को इनकी समय सीमा समाप्ति पर मूल्यांकन नहीं किया जाता।

सरकार के पेंशन दायित्व जो कि उसके कर्मचारियों के पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित हैं, को लेखे में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, सेवानिवृत्ति लाभ जो कि लेखे के दौरान वितरित किए गए हैं, लेखे में प्रदर्शित किए जाते है। (विवरण संख्या 12)

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैः सरकार के लेखे भारतीय रुपयों में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(iv) लेखों का स्वरूपः संविधान के अनुच्छेद, 150 के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में जैसे कि भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करे, रखे जाते हैं। अनुच्छेद, 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" (form) का एक विशिष्ट तात्पर्य है जिसके अन्तर्गत न केवल विस्तृत स्वरूप, जिनमें लेखे रखे जाते हैं, बल्कि लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त शीर्षो का चुनाव भी शामिल है।

(v) राजस्व एवं पूंजीगत के मध्य वर्गीकरणः राजस्व व्यय आवृतक प्रकृति के होते हैं जिनको राजस्व प्राप्ति से पूरित आशापित हैं। पूंजीगत परिव्यय स्थायी प्रकार की परिसम्पतियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यय के रूप में परिभाषित हैं। सहायक अनुदानों के व्यय को अनुदान दाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है। प्राप्त कर्ता के लेखों में इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत लेखों के स्वरूप पर सलाह देने की भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षा की शक्तियों का राज्यों द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि उत्तराखण्ड सरकार ने प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) की सलाह के बिना, जिन्हे कि नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक ने यह शक्ति प्रत्यायोजित की है, पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत अनुदानों के आवंटन के लिए एक पृथक वस्तुगत शीर्ष खोला है। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इण्डियन गवर्नमेन्ट एकाउन्टिग स्टैन्डर्ड (आई0जी0ए0एस0)–2 के प्रतिकूल है जिसमें यह उल्लिखित है कि सम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायक अनुदानों पर व्यय जब तक राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक से परामर्श से अन्यथा विशिष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए, सरकार के वित्तीय विवरण में पूंजीगत शीर्ष को डेबिट किया जाएगा। वर्ष 2012–13 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने 433.07

करोड़ के पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायक अनुदान को पूंजीगत शीर्ष में पुस्तांकित किया जिसके कारण इस सीमा तक राजस्व आधिक्य में वृद्धि हुई।

आई0 जी0 ए0 एस0–2 की एक आवश्यकता है कि पण्य के रूप में दिए गये अनुदान को दर्शाना चाहिए परन्तु , इस संबन्ध में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विवरण/सूचनाएं समाहित करने की स्थिति:– वारहवें वित्त आयोग द्वारा वांछित निम्नलिखित सूचनाएं वित्त लेखे में सम्मिलित नहीं की गई है। उक्त के कारण निम्नानुसार हैः–

(अ) राज्य सरकार से सूचना के अभाव में स्वीकार्य दायित्वों से संबन्धित सूचना वित्त लेखे में परिशिष्ट के रूप में नहीं दर्शाई जा सकी है।

(ब) चूंकि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन लेखे में पृथक रूप से अभिग्रहण नहीं किया जा सकता अतः परिशिष्ट–II के विवरण–2 में ''वेतन'' मद के अन्तर्गत उल्लिखित वेतन केवल राज्य क्षेत्र को दर्शाता है।

(स) परिशिष्ट–III मे केवल स्पष्ट सबसिडी का विवरण दिया गया है।

(द) परिशिष्ट–XI अनुरक्षण व्यय, वेतन मद को नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह लेखे में अभिग्रहण नहीं होता है।

3. लेखो की गुणवत्ताः–

(i) लघुशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां एवं' अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकनः लघुशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां एवं 'अन्य व्यय' तभी खोला जाना चाहिए जब लेखे में समुचित लघुशीर्ष का उल्लेख न किया गया हो। लघु शीर्ष 800 का सामान्य परिचालन हतोत्साहित किया जायेगा क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी करता है। 39 मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 858.18 करोड़ कुल राजस्व व्यय का 6.15 प्रतिशत, को लघुशीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार अड़तीस (38) मुख्य लेखा शीर्ष जो कि सरकार के क्रिया कलापों को प्रदर्शित करते हैं के अन्तर्गत ₹ 24,62.87 करोड जो कुल प्राप्ति का 15.64 प्रतिशत है को लघुशीर्ष–800 'अन्य प्राप्तियां'' अंकित कर लेखांकित किया गया है। ऐसे उदाहरण जहॉ पर कि प्राप्ति एवं व्यय का एक ठोस अनुपात (50 प्रतिशत और अधिक) को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत किया गया है परिशिष्ट ''ब(i) और ब(ii)'' में सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) प्राप्तियों एवं व्यय का मिलानः

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल का पैरा 109 के अनुसार यह आवश्यक है कि सरकार के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के आंकड़ों से मिलान किया जाए। लेकिन यह मिलान कार्य 62 नियन्त्रण अधिकारियों में से 55 द्वारा (89 प्रतिशत) द्वारा ही पूर्ण किया गया है। राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 के कुल व्यय ₹ 1,75,02.31 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) के सापेक्ष ₹ 76,35.71 करोड़ (व्यय का 44 प्रतिशत) का ही मिलान किया गया है इसी प्रकार, 48 नियन्त्रण अधिकारियों में से 32 (67 प्रतिशत) ने राजस्व प्राप्ति ₹ 86,99.30 करोड़ (कुल राजस्व ₹ 1,57,47.22 करोड़ का 55 प्रतिशत) का ही मिलान किया है। लेखों का मिलान न किया जाना उनकी शुद्धता एवं पूर्णता को प्रभावित करता है।

(iii) असमायोजित ए0सी0 बिलः

आहरण वितरण अधिकारियों को ए0सी0 बिलों के माध्यम से, संबन्धित सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनको चाहिए कि इन सभी मामलों में 30 दिन के अन्तर्गत विस्तृत

आकस्मिक बिल तैयार कर (अन्तिम व्यय के समर्थन में वाउचर संलग्न करते हुए) समायोजन कर दें। मार्च 2013 के अन्त में ₹ 30.43 करोड़ की राशि के दो सौ उन्हत्तर (269) डी0सी0 बिल अभी तक प्रधान महालेखाकार कार्यालय (ले0 एवं हक0) में प्राप्त नहीं हुऐ हैं। लम्बे समय तक डी0 सी0 बिलों को प्रस्तुत न करना ए0 सी0 बिलों के व्यय को अस्पष्टता प्रदान करता है।

वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक असमायोजित ए0 सी0 बिलों का विवरण निम्नवत् है–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	आहरित ए0सी बिल		प्रस्तुत डी0सी0 बिल		असमायोजित डी0सी0 बिल	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2010-11 तक	797	101.86	672	75.33	125	26.53
2011-12	347	5.44	286	4.40	61	1.04
2012-13	217	3.68	134	0.82	83	2.86
योग	1361	110.98	1092	80.55	269	30.43

वर्ष 2012–13 में आहरित ₹ 3.68 करोड़ के ए0सी0 बिलों में से, ₹ 2.26 करोड की धनराशि के ए0सी0 बिल अकेले माह 2013 में आहरित किए गये थे। मार्च में ए0सी0 बिलों के सापेक्ष अर्थपूर्ण व्यय मुख्यतः बजट का उपयोग करने के लिए था, जो कि अपर्याप्त बजटीय नियन्त्रण को दर्शाता है।

(iv) अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रः

राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों को विभिन्न योजनाओं तथा उद्देश्यो के लिए राज्य सहायता देती है, कुछ प्रकरणों में स्वीकृति में उल्लेख रहता है कि अवमुक्त सहायता का उपयोग प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजा जाएगा और प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) से अपेक्षित है कि वह ऐसे उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि राज्य सहायता को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए यह दिया गया था।

विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि (करोड़ ₹ में)
2010-11 तक	386	3,60.75
2011-12	116	1,10.48
2012-13	97	1,46.36
योग	**599**	**6,17.59**

(v) नकदी अवशेषः

31 मार्च 2013 को प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा आगणित नकदी अवशेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संसूचित अवशेष में ₹ 11.27 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अन्तर है। यह अन्तर बाद में ₹ 0.14 करोड़ (क्रेडिट) के रूप में कम हो गया है, जो कि मिलान प्रक्रिया में है।

4. अन्य मदें:

(i) **सेवानिवृति लाभों पर देयताएंः**

30 सितम्बर 2005 या उससे पूर्व भर्ती किए गये राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 13,65.69 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 9.78 प्रतिशत) था। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकारों के मध्य पेंशन दावों का विभाजन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के सम्बन्ध में, पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2012–13 में, उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2009–10 तक के अपने पेंशन दावों के आंशिक भुगतान के रूप में ₹ 10,45.98 करोड़ प्राप्त किया। यद्यपि यह वर्ष 2012–13 की राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत पुस्तांकित कर दिया गया है, यह पूर्व वर्षों के व्यय से सम्बन्धित है, और वर्ष 2012–13 के राजस्व आधिक्य पर इसके प्रभाव को आनुपातिक रूप में दर्शाया जाना हैं। वर्ष 2010–11 तक के पेंशन दावों का विभाजन प्रक्रिया में है, एवं वर्ष 2010–11 से आगे के पेंशनरी दावों के विभाजन का प्रकरण भारत सरकार को सन्दर्भित किया गया है।

01 अक्टूबर 2005 या उससे बाद भर्ती किए गये राज्य सरकार के कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम 2005 के अन्तर्गत आते है जो कि डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन स्कीम है। इस स्कीम के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देते है, समरूप योगदान राज्य सरकार का होता है और सम्पूर्ण धनराशि अधिकृत निधि प्रबन्धक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि0 (एन0 एस0 डी0 एल0) के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक धनराशिएवं उसके समरूप सरकारी योगदान का आकलन नही किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2012–13 में कर्मचारियों और उनके नियोक्ता द्वारा दिए गये ₹ 1,72.45 करोड़ के योगदान को मुख्य शीर्ष –0071–117–डिफाइन्ड पेंशन कन्ट्रीब्यूशन स्कीम के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया है, जिसमें से ₹ 1,71.62 करोड़ एन0 एस0 डी0 एल0 के हस्तान्तरित किया गया है। एकत्र न किया गया, मैचिंग न किया गया और हस्तान्तरित न की गई धनराशि, अर्जित ब्याज सहित, स्कीम के अन्तर्गत बकाया देयताओं को दर्शाता है।

(ii) **सरकारी लेखों से अलग निधियां** : राज्य सरकार, राज्य/जिला स्तर की स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों, सोसाईटी, गैर सरकारी संगठनों आदि को केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं (राज्य का हिस्सा) एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराती है। चूंकि निधियों का उपयोग इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है अतः इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोग में न लायी गई राशि बैंक में अवशेष रहती है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोग में नहीं लायी गई सकल राशि जोकि शासकीय खाते से बाहर (बैंक खाते में) रखी जाती है, ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सरकारी व्यय जिस सीमा तक लेखे में दर्शाया गया अन्तिम नही है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने इन कार्यदायी संस्थाओ को ₹ 15,67.57 करोड़ राज्य सरकार के माध्यम से न करके, सीधे हस्तान्तरित किया है। यधपि वहाँ यह आश्वासन नहीं है कि इस प्रकार के हस्तान्तरण का पूर्व विवरण उपलब्ध है, महानियंत्रक लेखा के सेन्ट्रल प्लान स्कीम मोनिटरिंग सिस्टम से लिए गये इस प्रकार के हस्तान्तरण का विवरण परिशिष्ट VII में दिया गया है।

(iii) **उचन्त शेषः** वित्तीय लेखों में उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के निबल शेष दर्शाये जाते है उक्त शीर्षों के असमायोजित शेषों के डेबिट एवं क्रेडिट के सकल शेषों को जोड़कर सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत पृथक–पृथक में आगणित कर दर्शाया जाता है। मुख्य शीर्ष उचन्त (मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत) पिछले तीन वर्षों की सकल राशि की स्थिति अनुलग्नक "स" में दी गई है।

(iv) **प्रत्याभूत (गारण्टी):** विवरण सं0 9 में दर्शायी गई प्रत्याभूत राज्य सरकार द्वारा (बजट) उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित है, राज्य सरकार ऐसी गारन्टी जारी करने के लिए अधिकृत है। विवरण में दी गई सूचना अपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने बकाया प्रत्याभूत के सम्बन्ध में सीमित सूचना प्रदान की है। प्रत्याभूत की अधिकतम राशि की सूचना, वर्ष के दौरान वृद्धि/अपमार्जन/उपभोग की गई/मुक्त की गई/मुक्त न की गई एवं प्रत्याभूत कमीशन आदि की सूचना उलब्ध नही कराई गई।

(v) **ऋण एवं निवेशः** ऋणों एवं निवेश का विवरण जिसका विस्तृत लेखा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है, को उस सीमा तक जहॉ तक राज्य सरकार ने अवगत कराया है शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने ऋण एवं वसूली जो कि अवशेष है पूर्ण विवरण प्रदान नही किया है। परिणामतः इन लेखों में आई0 जी0 ए0 एस0 3 की आवश्कताओं की पूर्ति नही हुई है।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने उनके द्वारा किए गये निवेश के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नही कराई/पुष्टि नही की । परिणाम स्वरूप वित्त लेखे में शामिल सूचना मुख्यतः पूंजीगत मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष "190–सार्वजनिक उपक्रमों" में निवेश के अन्तर्गत सीमित सूचना पर आधारित है जो कि प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा वाउचरों से अभिग्रहण किया गया है।

(vi) **आरक्षित कोषः** राज्य सरकार द्वारा आरक्षित/ डिपाजिट फण्ड और उनके उपभोग के सम्बन्ध में प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा किए गये पुस्तकीय समायोजनों का विवरण अनुलग्नक 'अ' में दिया गया है। आरक्षित कोष और इंगित निधि से निवेश का विस्तृत विवरण क्रमशः विवरण संख्या 18 एवं 19 में दिया गया है।

(अ) **समेकित ऋण शोधन निधिः** बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में समेकित ऋण शोधन निधि की व्यवस्था एवं प्रशासन के लिए अपनी बकाया देयताओ (राज्य सरकार के आन्तरिक डेब्ट और लोक लेखा दायित्व) के मोचन हेतु एक संशोधित योजना बनायी। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार द्वारा समय द्वारा समय–समय जारी निर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। सरकार भारतीय रिर्जव बैंक को निधि के एक प्रतिशत टर्नओवर के 1/8 की दर या समय–समय पर पारस्परिक निश्चित किए गये दर पर कमीशन का भुगतान करती है। वर्ष 2012–13 में ₹ 150 करोड़ की धनराशि समेकित निधि से ऋणशोधन निधि में विनियोजित किया गया जो कि 31 मार्च 2013 को बकाया दायित्वों (₹ 2,55,39.88 करोड) के 0.5 प्रतिशत (₹ 128 करोड़) की आवश्यकता से अधिक है। वर्ष 2012–13 के अन्त में कुल संचय ₹ 11,28.00 करोड़ किया। निधि के कुल संचय में से, (₹ 10,53.62 करोड़ की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेश की गई।

(ब) गारंटी मोचन कोषः बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन किया है। 31 मार्च 2013 तक कुल योगदान ₹ 25 करोड़ तथा इस पर आरक्षित व्याज ₹ 12.38 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशित किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बंकाया गारण्टी के लिए कोई धनराशि इससे नहीं निकाली गई है। वर्ष 2012–13 में ₹ 15,70.15 करोड़ की बकाया गारण्टी के सापेक्ष राज्य सरकार ने निधि में कोई योगदान नहीं किया है।

(स) राज्य आपदा विमोचन निधिः तेरहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा विमोचन निधि में प्रतिस्थापित किया गया है। निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं विशेष दर्जा राज्य सरकार जैसे उत्तराखण्ड से निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान अपेक्षित है।

वर्ष 2012–13 के प्रारम्भ में निधि में अवशेष ₹ 41.72 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में ₹ 1,29.72 करोड़ (90 प्रतिशत केन्द्रांश ₹ 1,16.75 करोड़ एवं 10 प्रतिशत राज्यांश ₹ 12.97 करोड़) समेकित निधि से राज्य आपदा विमोचन निधि में नियोजित किया गया, जबकि निधि से ₹ 1,34.59 करोड़ निकाले गये है तथा निधि में ₹ 36.85 करोड़ जमा राशि शेष है।

(vii) आकस्मिकता निधिः राज्य सरकार के आकस्मिकता निधि की राशि ₹ 2,00.00 करोड़ है। इस में से ₹ 97.15 करोड़ (₹ 61.62 करोड़ पूजीगत एवं ₹ 35.53 करोड़ राजस्व लेखा शीर्ष) की धनराशि वर्ष के अन्त तक असमायोजित हैं। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 35.53 करोड़ का राजस्व आधिक्य का ओवरस्टेट एवं ₹ 97.15 करोड़ लोक राजस्व घाटा अंडरस्टेट हुआ है।

(viii) व्यय का आधिक्यः कुल पूंजीगत व्यय ₹ 35,42.09 करोड़ में से ₹ 18,27.55 करोड़ (लगभग 52 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय ₹ 1,34,62.61 करोड़ मे से ₹ 18,67.87 करोड (लगभग 14 प्रतिशत) मार्च माह में व्यय हुआ। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,45.56 करोड़ एवं ₹ 2,30.21 करोड़ राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का क्रमशः 1.75 प्रतिशत एवं 6.49 प्रतिशत व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मार्च में ₹ 2,14.95 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 6 प्रतिशत) का लोकलेखे में हस्तान्तरण हुआ। मार्च के अन्तिम दिन व्यय/हस्तान्तरण मुख्यतः बजट को खर्च करने की शीघ्रता और अपर्याप्त बजटीय नियन्त्रण को दर्शाता है।

(ix) **उत्तराखण्ड राजकोशीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005** : उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 बनाया है। वर्ष 2012–13 के दौरान अधिनियम में उल्लिखित विनियमों के अन्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियां निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	लक्ष्य	वर्ष 2012–13 के दौरान उपलब्धियॉ
1.	वर्ष 2011–12 के राजस्व घाटे को दूर करना एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य बनाना।	वर्ष 2012–13 में लेखे के अनुसार, राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 1787.00 करोड़ था जो जी0 एस0 डी0 पी0* का 1.66 प्रतिशत था।
2.	वित्तीय वर्ष 2012–13 तक वित्तीय घाटे को कुल राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 3 प्रतिशत करना और उसके बाद 3.5 प्रतिशत या कम बनाये रखना।	लेखे के अनुसार राज्य का लोक राजस्व घाटा ₹ 15,99.22 करोड़ जी0 एस0 डी0 पी0 प्रक्कलन का 1.49 प्रतिशत है।
3.	ऋणों के लिए गारण्टी की सीमा हेतु कानून निर्धारित करना।	राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसा कोई कानून पास किया गया है, इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अवगत नही कराया है।

* जी0 एस0 डी0 पी0 उत्तराखण्ड सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के वेबसाइट के अनुसार चालू दर पर जी0 एस0 डी0 पी0 का अग्रिम प्राक्कलन ₹ 10,75,48.25 करोड था।

अनुलग्नक "अ" (मियादी समायोजन)

(करोड़ ₹ में)

बही समायोजन				
क्र. स.	लेखों के शीर्ष		राशि	टिप्पणी
	से	को		
1.	2049–ब्याज भुगतान	8009-सामान्य भविष्य निधि	4,01.61	भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान
2.	2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	1,29.72	भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं राज्यांश निधि को स्थानान्तरित।
3.	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	8222-ऋण शोधन निधि	1,50.00	समेकित ऋण शोधन निधि को अशंदान

अनुलग्नक "ब" (i)

मुख्य लेखा शीर्ष जहां अधिकाशं व्यय "अन्य व्यय"में वर्गीकृत है

व्यय(राजस्व)

(करोड़ ₹ में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2250-अन्य सामाजिक सेवाऐं	43.81	43.77	99.91
2425- सहकारिता	35.15	19.44	55.33
2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	58.53	56.69	96.84

टिप्पणीः–₹10.00 करोड़ या अधिक तथा जो उस मुख्य लेखा शीर्ष के कुल व्यय का 50 या अधिक प्रतिशत दर्शाता है, को अधिकांश व्यय में वर्गीकृत किया गया है।

अनुलग्नक "ब" (ii)

मुख्य लेखा शीर्ष जहां अधिकाशं प्राप्तियां "अन्य प्राप्तियां"में वर्गीकृत है प्राप्तियां(राजस्व)

(करोड़ ₹ में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
0023-होटल प्राप्ति कर	17.68	17.68	1,00.00
0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,48.40	6,48.40	1,00.00
0059-लोक निर्माण	18.13	16.89	93.16
0071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	7,48.65	7,03.43	93.96
0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	30.00	30.00	1,00.00
0217-शहरी विकास	10.32	10.32	1,00.00
0401-फसल कृषि कर्म	15.83	15.82	99.94
0406-वानिकी एवं वन्य जीव	2,38.20	2,38.20	1,00.00
0801-विद्युत	1,50.04	1,50.04	1,00.00

टिप्पणी:–₹10.00 करोड़ या अधिक तथा जो उस मुख्य लेखा शीर्ष के कुल प्राप्ति का 50 या अधिक प्रतिशत दर्शाता है, को अधिकांश प्राप्ति में वर्गीकृत किया गया है।

अनुलग्नक "स" (उचन्त शेष)

करोड़ ₹ में

लघु शीर्ष	2012-13		2011-12		2010-11	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त	58.54	3.17	51.16	3.17	53.39	3.16
निबल	(नामे) **55.37**		(नामे) **47.99**		(नामे) **50.23**	
102–उचन्त लेखा (सिविल)	5,62.84	3,56.15	6,67.44	3,56.19	4,42.76	3,54.52
निबल	(नामे) **2,06.69**		(नामे) **3,11.25**		(नामे) **88.24**	
107–नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा	0.11	0.26	0.11	0.26	0.11	0.26
निबल	(जमा) **0.15**		(जमा) **0.15**		(जमा) **0.15**	
109–रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	(–) 0.26	(–) 0.26	(–) 0.26	(–) 0.26	(–)0.26	(–)0.26
निबल	**0.00**		**0.00**		**0.00**	
110–रिजर्व बैंक उचन्त के0ले0 कार्यालय	5,13.53	5,37.52	6,20.50	2,19.70	6,20.57	2,19.70
निबल	(जमा) **23.99**		(नामे) **4,00.80**		(नामे) **4,00.87**	
111–विभागीय समायोजन लेखा	2,24.65	19.61	2,24.65	19.61	2,24.65	19.61
निबल	(नामे) **2,05.04**		(नामे) **2,05.04**		(नामे) **2,05.04**	
112–स्त्रो पर कर कटौती उचन्त	28.03	71.11	28.03	1,19.14	28.03	97.50
निबल	(जमा) **13.08**		(जमा) **91.11**		(जमा) **69.47**	
113–भविष्य निधि उचन्त	23.63	24.07	23.58	23.90	23.58	9.88
निबल	(जमा) **0.44**		(जमा) **0.32**		(जमा) **13.70**	
117–रिजर्व बैंक की ओर से लेन–देन	18.12	16.63	18.10	16.63	18.10	16.73
निबल	(नामे) **1.49**		(नामे) **1.47**		(नामे) **1.23**	
123–अ0भा0से0 के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.14	0.33	0.12	0.30	0.11	0.27
निबल	(जमा) **0.19**		(जमा) **0.18**		(जमा) **0.17**	
129–सामग्री कय परिनिर्धारण उचन्त लेखा	0.03	(–) 0.73	0.03	(–) 0.73	0.03	(–)0.68
निबल	(नामे) **0.76**		(नामे) **0.76**		(नामे) **0.71**	

परिशिष्ट – 1

रोकड़ प्रवाह विवरण

(करोड़ ₹ में)

क	सामान्य रोकड़ शेषः	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
	1. कोषागारों में शेष	0.00	0.00
	2. रिजर्व बैंक में जमा	(-) 5.21	1,16.01
	3. स्थानीय प्रेषण चलन में	0.00	(-) 5.38
	योग (1 से 3)	**(-) 5.21**	**1,10.63**
	4. रोकड़ शेष निवेश लेख	8,75.15	50.21
	योग (क)	**8,69.94**	**1,60.84**
ख	अन्य रोकड़ शेष व विनियोग		
	1. विभागीय रोकड़ शेष	(-) 2.15	(-) 2.15
	2. आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय स्थाई अग्रिम	(-) 0.87	(-) 0.87
	उद्दिष्ट निधि के आलावा विनियता	10,78.62	9,27.36
	योग (ख)	**10,75.60**	**9,24.34**
	योग (क) एवं (ख)	**19,45.54**	**10,85.18**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

क) रोकड़ एवं रोकड़ के अनुरूप–

रोकड़ एवं रोकड़ के समान में कोषागारों में रोकड़ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंको में जमा एवं प्रेषण जैसा कि ऊपर दिया गया है, सम्मिलित है। 'रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के शेष {उपरोक्त क (2)} वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक ऋण के संयुक्त शेषों को बताते हैं। रोकड़ की पूर्ण स्थिति 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' में जमा के अन्तर्गत कोषागारों के शेषों, रोकड़ शेषों के अलावा विनियोग एवं विभाग संचित निधि इत्यादि के शेषों से प्राप्त हो सकती है।

(ख) दैनिक रोकड़ शेषः

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन का ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना है यदि शेष राशि किसी दिन कम हो जाती है तो यह कमी समय–समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त कर अधिविकर्ष द्वारा पूरी की जाती है।

दैनिक रोकड़ (*) शेष को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष प्रदान किए जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लेनदेनों के साथ 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन करता है (भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर्राज्यीय लेनदेनों एवं अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित किए गए कोषागार लेनदेनों द्वारा) इस प्रकार जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, ट्रेजरी बिलों यदि कोई हो की 14 दिन की परिपक्वता अवधि इसमें जोड़ दी जाती है यदि कोई अधिक शेष न्यूनतम रोकड़ शेष के पश्चात प्राप्त होता है तो उसे ट्रेजरी बिलों में विनियोजित कर दिया जाता है।

यदि शुद्ध रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है और उस दिन कोई ट्रेजरी बिल जो 14 दिनों में परिपक्व होने वाला ना हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक अपरिपक्व ट्रेजरी बिलों का भी मूल्यांकन करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है यदि उस दिन इस प्रकार के ट्रेजरी बिल भी न हों तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के बिल आवेदित करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिमः

राज्य सरकार के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा दिनांक 01अप्रैल 2009 से ₹1,45.00 करोड़ थी। बैंक राज्य सरकार के प्रातिभूतियों के आधार पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ। बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा समय–समय पर पुनरीक्षित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 1,23.89 करोड़ से ₹ 1,49.52 करोड़ थी।

परिशिष्ट – 1
रोकड़ प्रवाह विवरण

न्यूनतम अवशेष में कमी	दर
(i) 90 दिनों तक	8 प्रतिशत
(ii) 90 दिनों से आगे	9 प्रतिशत
(आ) विशेष अर्थोपाय अग्रिम	7 प्रतिशत
(इ) ओवर ड्राफ्ट	
(i) सामान्य के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिम सीमा	10 प्रतिशत
(ii) सामान्य के ऊपर अर्थोपाय अग्रिम सीमा	13 प्रतिशत

(अ) सामान्य आर्थोपाय अग्रिम जिस सीमा तक शासन ने वर्ष 2012–13 तक रिजर्व बैंक ने न्यूनतम रोकड़ शेष व्यवस्थित किया है, नीचे दिया गया है।

(i) दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष रहा। 363 दिन

(ii) दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। शून्य दिन

(iii) दिनों की संख्या जिनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। 02 दिन

(iv) दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के पश्चात तथा अधिविकर्ष को छोडकर न्यूनतम शेष में कमी रही। – शून्य दिन

(v) दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष प्राप्त किया गया। शून्य दिन

(घ) खजाना बिल

(द) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से दिनांक 31 मार्च 2013 के दौरान ₹ 2,03,62.27 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किए गए एंव ₹ 1,95,37.33 करोड़ रूपये की राशि के ट्रेजरी बिलों का विक्रय किये इस प्रकार शीर्ष के अंर्तगत ₹ 8,24.94 करोड के ट्रेजरी बिल शेष रहे।

(स) दिनांक 31मार्च 2013 तक सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से किया गया विनियोजन निम्नवत है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		रोकड़ शेष निवेश लेखा	उद्दिष्ट निधि	योग
1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	--	10,78.62	10,78.62
2.	भारत सरकार के कोषागार बिल	8,75.15	--	8,75.15

(*) उपरोक्त रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक में जमा 31 मार्च का रोकड़ शेष है जो कि 16 अप्रैल को आगणित किया गया न कि 31 मार्च के दैनिक शेष से।